न्यायालय - न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर, राज०

पीठासीन अधिकारी :– **सुमन मीणा, आर.जे.एस.**

निय.फौज. प्र.सं. :– **1450/2022**

सी०आई०एस० नं. :– **1450/2022**

प्र.सू.रिपोर्ट सं० :– **102/2022, थाना कोतवाली, धौलपुर**

राजस्थान राज्य जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी, धौलपुर

---अभियोगी

बनाम

1. नरेश उर्फ बादशाह पुत्र श्री रामवीर सिंह, उम्र 24 साल, निवासी मौरोली थाना कोतवाली, धौलपुर। **(मफरुर घोषित दिनांक 07.02.2026)**
2. बन्टू उर्फ गजेन्द्र पुत्र श्री औतार सिंह, उम्र 20 साल, निवासी टुण्डें का पुरा, मजरा मौरोली थाना कोतवाली, धौलपुर।
3. आशु पुत्र श्री पुलेन्द्र उर्फ पुल्लो, उम्र 20 साल, निवासी जनकपुर थाना सिविल लाईन, जिला मुरैना, एमपी.। **(मफरुर घोषित दिनांक 07.04.2026)**

---अभियुक्तगण

उपस्थितः-

01. **राज्य की ओर से** - विद्वान सहायक लोक अभियोजन अधिकारी।
02. **अभियुक्त बंटू उर्फ गजेन्द्र की ओर से** - विद्वान अधिवक्ता श्री ओमवीर सिंह गुर्जर।

अपराध की दिनांक	17.02.2022	**साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि**	05.08.2022
प्र.सू.रि. की दिनांक	18.02.2022	**बहस अंतिम की दिनांक**	11.04.2026
आरोप-पत्र पेश करने की दिनांक	08.07.2022	**निर्णय की दिनांक**	13.04.2026
आरोप विरचित करने की दिनांक	05.08.2022	**दण्डादेश की दिनांक (यदि हो तो)**	-

फार्म "बी"

अभियुक्तगण का विवरणः-

क्र. सं.	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत की दिनांक	अपराध धारा	दोषमुक्त या दोषसिद्ध
1.	**नरेश उर्फ बादशाह**	07.05.2022	02.07.2022	382 भा.दं.सं.	मफरुर

2.	**बन्टू उर्फ गजेन्द्र**	30.05.2022	04.08.2022	382 भा.दं.सं.	दोषमुक्त
3.	**आशु**	18.03.2023	16.04.2025	382 भा.दं.सं.	मफरुर

फार्म "सी"

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय के साक्षीगण की सूचीः-

(अ) अभियोजन साक्षीः-

क्र.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1.	साहबसिंह	मुस्तगीस व धारा 161 सी.आर.पी.सी. साक्षी
2.	अजय शर्मा	धारा 161 सी.आर.पी.सी. साक्षी
3.	रामकुमार	फर्द जब्ती एमसी व नक्शा मौका साक्षी
4.	रविन्द्र सिंह	फर्द गिरफ्तारी, फर्द इत्तला 27 इवी एक्ट, तस्दीक नक्शा मौका, नक्शा मौका बरामदगी स्थल साक्षी
5.	ओमप्रकाश	नकल मालखाना साक्षी
6.	पुष्पेन्द्र सिंह	फर्द जब्ती एमसी व नक्शा मौका साक्षी
7.	भरतराम	फर्द गिरफ्तारी, फर्द इत्तला 27 इवी एक्ट, तस्दीक नक्शा मौका, नक्शा मौका बरामदगी स्थल साक्षी
8.	देवेन्द्र सिंह	धारा 161 सी.आर.पी.सी. साक्षी
9.	अरूण कुमार	तफ्तीशकर्ता साक्षी

(ब) प्रतिरक्षा साक्षीः- निल।

(स) न्यायालय साक्षीः- निल।

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय के दस्तावेजात की सूचीः-

(अ) अभियोजन दस्तावेजातः-

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
1.	प्रदर्श पी.01	तहरीरी रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी.01 ए	तहरीरी रिपोर्ट व सम्पत्ति की तलाशी व जब्ती का प्रपत्र की प्रमाणित प्रतियां
3.	प्रदर्श पी.02	चाक एफ.आई.आर.
4.	प्रदर्श पी.02 ए	बरामदगी नक्शा मौका की प्रमाणित प्रति
5.	प्रदर्श पी.03	नक्शा मौका
6.	प्रदर्श पी.03 ए	नक्शा मौका की प्रमाणित प्रति

7.	प्रदर्श पी.04	बयान धारा 161 सी.आर.पी.सी. गवाह साहिब सिंह व बयान धारा 161 सी.आर.पी.सी. गवाह साहिब सिंह की प्रमाणित प्रति
8.	प्रदर्श पी.05	बयान धारा 161 सी.आर.पी.सी. गवाह अजय व बयान धारा 161 सी.आर.पी.सी. गवाह अजय की प्रमाणित प्रति
9.	प्रदर्श पी.06	सम्पत्ति की तलाश व जब्ती का प्रपत्र
10.	प्रदर्श पी.07	बरामदगी नक्शा मौका
11.	प्रदर्श पी.08	फर्द गिरफ्तारी प्रपत्र मुल्जिम नरेश उर्फ बादशाह
12.	प्रदर्श पी.09	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुल्जिम नरेश उर्फ बादशाह
13.	प्रदर्श पी.10 व पी.11	नक्शा मौका बरामदगी स्थल मुल्जिम नरेश
14.	प्रदर्श पी.12	फर्द गिरफ्तारी प्रपत्र मुल्जिम बंटू उर्फ गजेन्द्र सिंह
15.	प्रदर्श पी.13	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुल्जिम बंटू उर्फ गजेन्द्र
16.	प्रदर्श पी.14	नक्शा मौका बरामदगी स्थल मुल्जिम बंटू उर्फ गजेन्द्र
17.	प्रदर्श पी.15 ए	रजिस्टर चुराई हुई सम्पत्ति
18.	प्रदर्श पी.16	बयान धारा 161 सी.आर.पी.सी. गवाह देवेन्द्र सिंह
19.	प्रदर्श पी.17 से पी.21	रोजनामचा आम
20.	प्रदर्श पी.22	आपराधिक रिकार्ड मुल्जिम नरेश उर्फ बादशाह

(ब) <u>प्रतिरक्षा दस्तावेजातः</u>- निल।

(स) <u>न्यायालय दस्तावेजातः</u>- निल।

(द) <u>आर्टिकल की सूचीः-</u> निल।

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 382 भा.दं.संहिता।</u>

-- <u>निर्णय</u> --

<u>दिनांकः- 13.04.2026</u>

1. थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, जिला धौलपुर की ओर से अभियुक्तगण नरेश उर्फ बादशाह व बन्टू उर्फ गजेन्द्र के विरूद्ध एक आरोप पत्र धारा 382 भा.दं.संहिता के अंतर्गत दिनांक 08.07.2022 को व अभियुक्त आशु के विरुद्ध एक आरोप पत्र धारा 382 भा.दं.संहिता के अंतर्गत दिनांक 12.05.2023 को न्यायालय श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

तत्पश्चात यह प्रकरण श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर के आदेश क्रमांक 185 दिनांकित 21.09.2023 के द्वारा अंतरित होकर वास्ते निस्तारण इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 18.02.2022 परिवादी साहिब सिंह ने एक तहरीरी रिपोर्ट पुलिस थाना कोतवाली पर इस आशय की पेश कर दर्ज करायी कि वह दिनांक 17.02.2022 को समय करीब 07.30 बजे अपनी मोटरसाईकिल एच.एफ. डीलक्स रजि. नंबर आर.जे.11 एस.पी. 2357 से धौलपुर की तरफ से मुरैना में भाडी में जा रहा था। तभी उसी समय सागरपाड़ा पुलिस चौकी से 100 मीटर दूर पहुंचा, तो तीन व्यक्ति पैदल-पैदल आकर उसे रोक लिया, जिनमें दो व्यक्तियों के हाथों में कट्टा था, उसने कहा कि ''तुम लोग मुझे क्यों रोक रहे हो'', तो उन्होंने कहा कि 'तु अपनी मोटरसाईकिल, पर्स, मोबाइल हमकों दे दे'', तो उसने मना किया, नही माने और उसे डरा धमकाकर उसकी मोटरसाईकिल उक्त तथा उसका पर्स, जिसमें 2000/- व कागजात थे तथा उसकी मोबाइल वीवो कम्पनी जिसमें सिम नंबर 8302726322 जियो कम्पनी पडी, तो उससे छुड़ाकर ले गये। उसने उक्त लोगों के नाम पते उसने राहगीरों से मालुमात किये, तो बताया एक का नाम जोगा उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र अमृतलाल यादव निवासी जाफराबाद तह. जीरा, जिला मुरैना तथा दूसरे का नाम आशु पुत्र पुष्पेन्द्र निवासी जनकपुर जिला मुरैना तथा तीसरे का नाम नहीं जानते है। वह उक्त लोगों को शक्ल से पहचान सकता है.....इत्यादि तथ्यों के आधार पर पेश तहरीर पर पुलिस थाना कोतवाली, धौलपुर द्वारा मुकदमा संख्या 102/2022 अन्तर्गत धारा 382 भा.दं.संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान, पुलिस थाना कोतवाली, धौलपुर द्वारा अभियुक्तगण नरेश उर्फ बादशाह, बन्टू उर्फ गजेन्द्र व आशु के विरूद्ध धारा 382 भा.दं.संहिता में आरोप-पत्र पेश किया गया, जिस पर उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं के अपराध के आरोपों में न्यायालय द्वारा प्रंसज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अन्वीक्षा प्रारंभ की गयी।

3. अभियुक्तगण नरेश उर्फ बादशाह व बन्टू उर्फ गजेन्द्र को धारा 382 भा.दं.संहिता के अपराध के आरोप दिनांक 05.08.2022 व अभियुक्त आशु को उक्त अपराध के आरोप दिनांक 07.06.2023 को पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, तो अभियुक्तगण ने अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. दौराने विचारण प्रकरण में अभियुक्त नरेश उर्फ बादशाह व आशु मफरुर है, ऐसे में प्रकरण में अभियुक्त बन्टू उर्फ गजेन्द्र की हद तक विचारण किया जा रहा है।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 09 गवाहों को परिक्षित करवाया है तथा कुल 22 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया है।

6. अभियोजन की साक्ष्य उपरांत अभियुक्तगण के बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 द.प्र.संहिता लिये गये, तो अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं की।

7. बहस अन्तिम उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण ने तर्क दिया है कि प्रकरण में अभियुक्तगण को गलत फंसाया गया है। अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य करायी गयी है, उसमें किसी भी गवाह के द्वारा तहरीरी रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की पुष्टि नहीं की गयी है। प्रकरण के मुख्य गवाहों की साक्ष्य में विरोधाभास है। पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

8. इसके विपरीत दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि गवाहान द्वारा अपने सशपथ बयानों में तहरीरी रिपोर्ट की ताईद की है तथा अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करने बाबत् कथन किये है एवं गवाहान की साक्ष्य में विरोधाभास नहीं है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।

9. उभय पक्ष द्वारा दिये गये तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया तथा सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया।

10. **प्रकरण में अवधारणीय बिन्दु यह है किः-**

1. ***क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 17.02.2022 को समय करीब 07.30 बजे सागरपाडा चौकी से सौ मीटर दूर परिवादी साहब सिंह सोलंकी को कट्टे का भय दिखाकर उससे मोटरसाईकिल नंबरी आर.जे.11 एस.पी. 2357, पर्स में रखे दो हजार रुपये तथा वीवो कम्पनी का मोबाइल मय सिम नंबर 8302726322 को छीनकर भा गये और इस प्रकार धारा 382 भा.दं.सं के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया ?***
2. ***यदि ऐसा है तो इसके लिए उचित दण्ड क्या होगा ?***

11. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने प्रकरण के समर्थन में कुल 10 गवाहान को पेश कर परीक्षित कराया गया है। गवाह **पी.ड.01 साहबसिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि 17 फरवीर 2022 को करीब शाम को 07.00 बजे की बात होगी। वह अपनी मोटरसाईकिल से धौलपुर से मुरैना जा रहा था। उसकी मोटरसाईकिल का नंबर आर.जे.11 एस.पी. 2357 था। उसकी बाइक को तीन लोगों ने चंबल पुल से करीब 100 मीटर पहले रूकवा लिया और उससे कहा कि अपनी बाइक, पर्स व मोबाइल देदे। उसके मना करने पर हथियार का डर दिखाकर मोबाइल पर्स व पैसे बाई छीन ली। जिन लोगों ने उससे सामान छीना वह उनका नाम नहीं बता सकता है, ना ही वह उन्हें पहचान सकता है। उसने घटना की रिपोर्ट करायी थी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.01, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.02, नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी.03 है, तीनों पर ही ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ। जिरह एपीओ में गवाह ने कथन किया कि पुलिस बयान प्रदर्श पी.04 का ए से बी भाग उसने पुलिस को नहीं बताया। वह मुल्जिमान

को सामने आने पर पहचान नहीं सकता है। मुल्जिमान के नाम क्या बताये थे आज उसे ध्यान नहीं है। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 उसके हस्तलेख में नहीं है। तहरीरी रिपोर्ट में उसने मुल्जिमान के नाम किसके कहने पर लिखाये उसे आज ध्यान नहीं है। गवाह ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह मुल्जिम से मिलकर झूंठे बयान दे रहा हो। **जिरह जरिये अधिवक्ता अभियुक्तगण में** गवाह ने कथन किया कि उसका पुलिस में बयान नहीं हुआ था। पुलिस ने नक्शा मौका भी उसके सामने नहीं बनाया था।

12. गवाह **पी.ड.02 अजय शर्मा** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह धौलपुर से मुरैना जा रहा था, साहब सिंह उसे रास्ते में मिला था। उसने, उनसे पूछा क्यों खड़ा है, तो उसने बताया कि उसकी बाइक चोरी हो गयी है। उसने बताया कि 2-3 लोग थे जो ढाटा लगाये थे वो उससे बाइक लेकर भाग गये। उसे साहब सिंह ने उन व्यक्तियों के नाम नहीं बताये थे। वह उन्हें पहचान नहीं भी सकता है। नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी.03 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ। जिरह एपीओ में गवाह ने कथन किया कि पुलिस बयान प्रदर्श पी.05 का ए से बी भाग उसने पुलिस को नहीं बताया। वह मुल्जिमान को सामने आने पर पहचान नहीं सकता है। मुल्जिमान के नाम क्या बताये थे आज उसे ध्यान नहीं है। गवाह ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह मुल्जिम से मिलकर झूंठे बयान दे रहा हो। **जिरह जरिये अधिवक्ता अभियुक्तगण** में गवाह ने कथन किया कि उसका पुलिस में बयान नहीं हुआ था। पुलिस ने नक्शा मौका भी उसके सामने नहीं बनाया था।

13. गवाह **पी.ड.03 रामकुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 08.03.2022 को थाना कोतवाली की चौकी सागरपाडा पर कानि. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मुकदमा नंबर 102/22 के आई.ओ. अरूण कुमार एच.सी. 777 द्वारा पुराने चंबल पुल के पास से एक मोटरसाईकिल आर.जे.11 एस.पी. 2357 अज्ञात को जरिये फर्द जब्त किया था, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी.06 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है तथा उक्त दिनांक को ही उक्त के बाबत् बरामदगी का नक्शा मौका कसीद किया था, जो प्रदर्श पी.07 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। **जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण में** गवाह ने कथन किया कि मोटरसाईकिल को उसके सामने किसी के कब्जे से जप्त नहीं किया गया था। पुराने पुल के पास खडी हुई थी, वहां से जप्त किया था। वहां पर मोटरसाईकिल को कौन रखकर गया था उसकी जानकारी में नहीं है। बरामदगी का नक्शा मौका कितने बजे तैयार किया आज उसे ध्यान नहीं है।

14. गवाह **पी.ड.04 रविन्द्र सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 07.05.2022 को थाना कोतवाली पर कानि. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मुकदमा नंबर 102/22 के आई.ओ. अरूण कुमार एच.सी.777 द्वारा उसके व कानि. भरतराम के समक्ष जेल परिसर से मुलिजम नरेश उर्फ बादशाह को जरिये फर्द गिरफ्तार किया था, जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी.08 है, जिस पर ए

से बी उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिम नरेश उर्फ बादशाह द्वारा आई. ओ. अरूण कुमार एच.सी. को स्वेच्छया से इत्तला दी गयी जो प्रदर्श पी.09 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त मुल्जिम की निशादेही पर तस्दीक नकशा मौक कसीद किया गया, जो प्रदर्श पी.10 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। तस्दीक बरामदगी स्थल बनाया गया, जो प्रदर्श पी.11 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 30.05.2022 को प्रकरण के अन्य मुल्जिम बन्टू उर्फ गजेन्द्र सिंह को आई.ओ. अरूण कुमार द्वारा उसके व कानि. भरतराम के समक्ष जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया था, जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी.12 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त मुल्जिम की निशादेही पर दिनांक 31.05.2022 को तस्दीक घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया, जो प्रदर्श पी.14 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। **जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण में** गवाह ने स्वीकार किया कि दोनों मुल्जिमानों से जेल धौलपुर से गिरफ्तार किया था। वह दोनों मुल्जिमान को पहले से नहीं जानता था। नक्शा मौका प्रदर्श पी.10 व पी.14 व 11 कितने बजे बनाया था उसे ध्यान नहीं है तथा इनके चारों दिशाओं में क्या क्या है उसकी जानकारी में नहीं है। गवाह ने स्वीकार किया कि नक्शा मौका बनाते समय किसी भी स्वतंत्र गवाह को नहीं बुलाया था। गवाह ने स्वीकार किया कि जप्तशुदा मोटरसाईकिल मुल्जिम बन्टू व नरेश उर्फ बादशाह के कब्जे से बरामद नहीं हुई थी। गवाह ने स्वीकार किया कि उसके सामने मोटरसाईकिल बरामद नहीं हुई थी। गवाह ने स्वीकार किया कि वह आज पुलिसकर्मी होने से झूंठे बयान दे रहा हो।

15. गवाह **पी.ड.05 ओमप्रकाश** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 08.03.2022 को थाना कोतवाली पर मालखाना एच.एम. के पद पर तैनात था। उस दिन श्री अरूण कुमार हैड कानि. नं. 777 ने एक फर्द जब्ती मुकदमा नंबर 102/22 में एक जब्तशुदा मोटरसाईकिल नंबरी आर.जे.11 एस.पी. 2357 को उसको दी, जिसको उसने मालखाना रजिस्टर की मद संख्या 91/504 पर इंद्राज किया था जो मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी.15 है, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी.15ए है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। **जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण में** गवाह ने कथन किया कि जो मोटरसाईकिल जब्त की थी वह आज न्यायालय में उपस्थित नहीं है। जो मोटरसाईकिल जब्त की थी किससे की थी वह उसकी जानकारी में नहीं है।

16. गवाह **पी.ड.06 पुष्पेन्द्र सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 08.03.2022 को वह कानि. के पद पर चौकी सागरपाडा थाना कोतवाली पर पदस्थापित था। उस दिन एचसी. अरूण कुमार ने उसके व राजकुमार कानि. के समक्ष चंबल पुल पुराना से एक मोटरसाईकिल नंबर आर.जे.11 एस.पी. 2357 को वजह सबूत जब्त किया था, जो प्रदर्श पी.06 व बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.07 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। **जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण में** गवाह ने स्वीकार किया कि उसकी सागरपाडा पर पोस्टिंग बाबत् कोई पत्र पत्रावली पर मौजूद नहीं है। गवाह ने स्वीकार किया कि उसके सामने किसी मुल्जिमान के कब्जे से मोटरसाईकिल जब्त नहीं की गई। प्रदर्श पी.06 का इंजन

नंबर व चैसिस नंबर आज उसे ध्यान नहीं है। आज उसे याद नहीं है कि फर्द जब्ती प्रदर्श पी.06 बनाते समय स्वतंत्र गवाह बनाये थे या नहीं। गवाह ने स्वीकार किया कि घटना स्थल पर वह कहां-कहां खड़े थे यह अंकित नहीं है और मोटरसाईकिल के पहिये के निशान भी नक्शा मौका में अंकित नहीं है। गवाह ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसके सामने प्रदर्श पी.06 व प्रदर्श पी.07 बनाये हो। **जिरह अधिवक्ता अभियुक्त आशु में** गवाह ने स्वीकार किया कि उसकी दिनांक 08.03.2022 को पोस्टिंग बाबत् पत्र पत्रावली पर शामिल नहीं है। आज उसे ध्यान नहीं है कि उसका इंजन व चैचिस नंबर क्या था। एमसी पर आगे पीछे क्या अंकित था आज उसे ध्यान नहीं है। नक्शा प्रदर्श पी.02 ए में एम.सी. के खडे होने के टायरों के निशान अंकित नहीं है, जो एक्स स्थान है, नक्शे मौके में वहां किस किस के खेत है यह पता नहीं है। नक्शा मौका में खाली स्थन चंबल पुल से कितनी दूरी पर स्थित है यह पत्रावली में मौजूद नहीं है।

17. गवाह **पी.ड.07 भरतराम** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 07.05.2022 को वह थाना कोतवाली पर कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा संख्या 102/72 थाना कोतवाली में एच.सी. अरूण ने उसके व रविन्द्र कानि. के समक्ष मुल्जिम नरेश उर्फ बादशाह जेल धौलपुर से जरिये फर्द गिरफ्तार किया था। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी.03 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दौराने हिरासत मुल्जिम ने हैड साहब को स्वेच्छा से इत्तला दी कि उसने दिनांक 17.02.2022 को चंबल पुल के पास जो मोटरसाईकिल छुडाई थी, व जहां मोटरसाईकिल छोड भागे थे, उस स्थाल को वह चलकर बता सकता है। हैड ने इत्तला को लेखबद्ध किया। फर्द इत्तला प्रदर्श पी.09 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। हैड ने मुलिजम की इत्तला पर उसके द्वारा आगे आगे चलकर वह दोनों स्थान बताये जहां उसने मोटरसाईकिल छुड़ाई थी व जहां मोटरसाईकिल छोड़कर भागा था। तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी.10 व पी.11 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 30.05.2022 को हैड अरूण ने उसके व रविन्द्र कानि. के समक्ष मुल्जिम बन्टू उर्फ गजेन्द्र को जेल, धौलपुर से जरिये फर्द गिरफ्तार किया था। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी.02 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दौराने हिरासत मुल्जिम ने हैड को स्वेच्छा से इत्तला दी कि उसने दिनांक 17.02.2022 को चम्बल पुल के पास जो मोटरसाईकिल छुड़ाई थी व जहां मोटरसाईकिल छोड़कर भागे थे, उस स्थान को वह चलकर बता सकता है। हैड ने इत्तला को लेखबद्ध किया। फर्द इत्तला प्रदर्श पी.13 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। हैड साहब ने मुल्जिम की इत्तला पर उसके द्वारा आगे आगे चलकर उस स्थान को बताया जहां उसने मोटरसाईकिल छुड़ाई थी। तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी.14 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। **जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण में** गवाह ने कथन किया कि तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी.10 किस तारीख को कितने बजे बनाया आज ध्यान नहीं है। जिस समय वह थाने से रवाना हुए थे उस समय उसने रपट रवानगी डाली थी। गवाह ने स्वीकार किया कि रपट रवानी पत्रावली में मौजूद नहीं है। प्रदर्श पी.13 और प्रदर्श पी.09 कब बनाये थे आज ध्यान नहीं है। तस्दीक

नक्शा मौका प्रदर्श पी.10 व प्रदर्श पी.11 व प्रदर्श पी.14 कितने बजे किस तारीख को बनाया था आज ध्यान नहीं है। गवाह ने स्वीकार किया कि जिस समय नक्शा मौका बनाये थे उस समय मुस्तगीस मौजूद नहीं था, केवल वह और रविन्द्र व आई.ओ. मौजूद थे। प्रदर्श पी.02 व प्रदर्श पी.03 जेल धौलपुर पर बनाई थी। गवाह ने स्वीकार किया कि वह मुल्जिम बंटू व नरेश को नाम व शक्ल से नहीं जानता है। चम्बल के पुल पर उसने नक्शा मौका बनाया था। मोटरसाईकिल किसकी थी उसकी जानकारी में नहीं है।

18. गवाह **पी.ड.08 देवेन्द्र सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसने कोई घटना नहीं देखी और ना ही किसी ने उसके साथ कोई लूटपाट की। **उक्त गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ। जिरह एपीओ में** गवाह ने कथन किया कि उसके पुलिस में बयान नहीं हुए। पुलिस बयान प्रदर्श पी.16 का ए से बी भाग पुलिस को देने से इंकार किया। गवाह ने इस सुझाव से इंकार किया कि दिनांक 17.02.2022 को मुल्जिमानों ने उसके सामने एक मोटरसाईकिल नंबरी आर.जे.11 एस.पी. 2357 को व रूपयों को कट्टा का भय दिखाकर एक व्यक्ति से छीना हो।

19. गवाह **पी.ड.09 अरूण कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 18.02.2022 को थाना कोतवाली पर हैड कानि. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मुकदमा नंबर 102/22 अंतर्गत धारा 382 आई.पी.सी. की पत्रावली वास्ते तफ्तीश प्राप्त हुई। दौराने तफ्तीश उसके द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर नक्शा मौका कसीद किया गया, जो कि प्रदर्श पी.03 पर ई से एफ उसके, सी से डी व जी से एच गवाहान अजय व रवि तथा ए से बी मुस्तगीस साहबसिंह के हस्ताक्षर है। उक्त प्रकरण के मुल्जिम नरेश उर्फ बादशाह, बंटू उर्फ गजेन्द्र को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया, जिनकी फर्द गिरफ्तारी क्रमशः प्रदर्श पी.08 व प्रदर्श पी.12 पर ई से एफ उसके, ए से बी व सी से डी गवाहान रविन्द्र व भरतराम के हस्ताक्षर है तथा जी से एच मुल्जिमान क्रमशः नरेश और बंटू उर्फ गजेन्द्र के हस्ताक्षर है। गिरफ्तारशुदा मुल्जिम बंटू उर्फ गजेन्द्र व नरेश द्वारा उसे स्वेच्छा से ईत्तला दी गई। फर्द ईत्तला क्रमशः प्रदर्श पी.13 व प्रदर्श पी.09 पर ई से एफ उसके, ए से बी व सी से डी गवाहान रविन्द्र व भरतराम के हस्ताक्षर है तथा जी से एच मुल्जिमान क्रमश बंटू उर्फ गजेन्द्र व नरेश के हस्ताक्षर है तथा आई से जे भाग मुल्जिम द्वारा दी गई स्वेच्छा ईत्तला है तथा मुल्जिमानों की निशादेही पर तस्दीक नक्शा मौका बनाया गया, जो प्रदर्श पी.10 व प्रदर्श पी.11 और प्रदर्श पी.14 पर ई से एफ उसके, ए से बी व सी से डी गवाहान रविन्द्र व भरतराम के हस्ताक्षर है तथा जी से एच मुल्जिमान क्रमशः नरेश व बंटू उर्फ गजेन्द्र के हस्ताक्षर है। उक्त प्रकरण में वांछित मोटरसाईकिल नंबर आर.जे.11-एसपी.2357 को जरिये फर्द जब्त किया गया, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी.06 पर ई से एफ उसके तथा ए से बी व सी से डी गवाहान के हस्ताक्षर है। उक्त मोटरसाईकिल का नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी.07 पर ई से एफ उसके तथा ए से बी व सी से डी गवाहान के हस्ताक्षर है तथा उक्त मुल्जिमानों से संबंधित अन्य एफ.आई.आर. 218/22 अंतर्गत धारा 3/25 की फोटोप्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई तथा नकल

रपट रवानगी व वापसी क्रमशः प्रदर्श पी.17 लगायत 21 है। मुल्जिमानों का आपराधिक रिकॉर्ड प्रदर्श पी.22 है, जो प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया तथा मालखाना रजिस्टर की कॉपी प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। सम्पूर्ण तफ्तीश से मुल्जिम नरेश उर्फ बादशाह और बंटू उर्फ गजेन्द्र के विरूद्ध धारा 382 आई.पी.सी. में प्रमाणित मानकर तथा उक्त प्रकरण के अन्य मुल्जिम आशू के विरूद्ध 173(8)सी.आर.पी.सी. की कार्यवाही पैंडिग रखते हुए पत्रावली श्रीमान एस.एच.ओ. के समक्ष पेश की गई। **जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण में** गवाह ने कथन किया कि बरामदशुदा मोटरसाईकिल किसकी थी आज उसे ध्यान नहीं है। गवाह ने स्वीकार किया कि वह मुल्जिम नरेश उर्फ बादशाह व बंटू उर्फ गजेन्द्र को नहीं जानता। समस्त बयान 161 सी.आर.पी.सी. उसके द्वारा लेखबद्ध किये गये थे। तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी.10 व पी.11 और घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.03 उसके द्वारा तैयार किया गया था जिनके पूर्व-पश्चिम व उत्तर-दक्षिण में क्या-क्या है आज उसे ध्यान नहीं है। गवाह ने स्वीकार किया कि तीनों ही नक्शों में कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया, सारे गवाह पुलिसकर्मी थे। प्रदर्श पी.13, प्रदर्श पी.09, प्रदर्श पी.11 उसके द्वारा तैयार किये गये थे कितने बजे तैयार किये आज उसे ध्यान नहीं है। गवाह ने स्वीकार किया कि जिस समय मुल्जिमानों को गिरफ्तार किया गया, उस समय इनके कब्जे से कोई मोटरसाईकिल बरामद नहीं हुई थी। गवाह ने स्वीकार किया कि मोटरसाईकिल चम्बल के बीहड से बरामद की गई थी। गवाह ने स्वीकार किया कि बरामदशुदा मोटरसाईकिल बंटू उर्फ गजेन्द्र व नरेश उर्फ बादशाह के कब्जे से बरामद नहीं हुई थी। उस मोटरसाईकिल को मौके पर कौन रख गया, उसकी जानकारी में नहीं है।

<u>विचारणीय बिंदु एक के संबंध में:-</u>

20. उपरोक्त अवधारणीय बिन्दु को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन की ओर से न्यायालय में मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है। विचारणीय बिंदु एक के संबंध में सभी बयानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि घटना कारित करते समय किसी ने भी अभियुक्त को नहीं देखा था। जिस कारण घटना अभियुक्त ने की हो यह चश्मदीद गवाह नहीं साबित करते हैं। बाद इसके जप्ती मोटरसाईकिल व सामान के गवाह महत्वपूर्ण है। जप्ती के गवाह पी.ड.03 रामकुमार, पी.ड.06 पुष्पेन्द्र ने कथन किया कि प्रदर्श पी.06 में जप्त मोटरसाईकिल किसी के कब्जे से जप्त नहीं थी। प्रदर्श पी.06 दिनांक 08.03.2022 की है, जबकि अभियुक्त बंटू की प्रदर्श पी.13 दिनांक 30.05.2022 की इत्तला है, जो 02 माह बाद अभियुक्त की गिरफ्तारी पर दी है। जिस कारण स्पष्ट है कि जप्ती अभियुक्त की इत्तला बाद नहीं हुई है। जप्ती के दो माह बाद इत्तला प्रदर्श पी.13 दिनांक 30.05.2022 को दी थी व नक्शा मौका फर्द इत्तला पर मात्र बना था। जिस कारण अभियुक्त के कब्जे से मोटरसाईकिल जप्त हो वह भी साबित नहीं है। मात्र इत्तला प्रदर्श पी.13 के आधार पर अभियुक्त को पत्रावली में Add किया था। प्रदर्श पी.14 अनुसार रोड पर मोटरसाईकिल छोडना बताया है, जहां पूर्व दिशा में विशंभर रोड है, जबकि प्रदर्श पी.06 की जप्ती के नक्शे मौके प्रदर्श पी.07 अनुसार पूल से मोटरसाईकिल जप्त थी, जिसके पूर्व में नदी थी। जिससे स्पष्ट

है कि जप्ती की जगह व बंटू द्वारा इत्तला में बतायी जगह भी अलग है, जिस कारण जप्त मोटरसाईकिल अभियुक्त द्वारा ही मौके पर छोडी हो यह भी साबित नहीं है। अभियुक्त द्वारा परिवादी को भय दिखाकर चोरी की हो यह साबित नहीं होता है।

21. ऐसे में पत्रावली पर आयी समस्त साक्ष्य के विवेचन से अभियोजन पक्ष यह तथ्य संदेह से परे युक्ति-युक्त साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त बंटी ने दिनांक 17.02.2022 को समय करीब 07.30 बजे सागरपाडा चौकी से सौ मीटर दूर परिवादी साहब सिंह सोलंकी को कट्टे का भय दिखाकर उससे मोटरसाईकिल नंबरी आर.जे.11 एस.पी. 2357, पर्स में रखे दो हजार रुपये तथा वीवो कम्पनी का मोबाइल मय सिम नंबर 8302726322 को छीनकर भाग गये। लिहाजाः अभियुक्तगण **बंटू उर्फ गजेन्द्र** आरोपित अपराध से **दोषमुक्त** किये जाने योग्य है।

- <u>आदेश</u> -

22. अतः अभियुक्त **बन्टू उर्फ गजेन्द्र पुत्र श्री औतार सिंह, उम्र 20 साल, निवासी टुण्डें का पुरा, मजरा मौरोली थाना कोतवाली, धौलपुर** को धारा **382 भा.दं.सं.** के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त घोषित** किया जाता है। न्यायिक अभिरक्षा से अभियुक्त **बन्टू उर्फ गजेन्द्र** को रिहा किया जाता है, इस बाबत् पृथक से तहरीर जेल अधीक्षक, धौलपुर को जारी हो। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थिति हेतु धारा **437ए द.प्र.सं** के तहत अभियुक्त **10,000/- रूपये** की राशि का स्वयं का मुचलका व इतनी ही राशि की एक प्रतिभूति आगामी **छः माह** के लिये पेश कर तस्दीक करायें।

23. इस प्रकरण में जब्तशुदा वाहन सुपुर्ददार के पास है, जो बाद गुजरने मियाद अपील उसी के पास ही रहे एवं जमानतानामा एवं सुपुर्दनामा निरस्त समझे जावें।

24. प्रकरण में अभियुक्त नरेश उर्फ बादशाह मफरुर व आशु है, ऐसे में पत्रावली पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे कि प्रकरण में अभियुक्त नरेश उर्फ बादशाह व आशु मफरुर है, इसलिए पत्रावली का कोई भी भाग नष्ट नहीं किया जावे।

(सुमन मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धौलपुर, राज.

25. निर्णय व आदेश आज दिनांक **13.04.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुमन मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धौलपुर, राज.